

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—69/2020 (2020/00221) वाद पत्र

अनवान

1—भैरु पिता गोकल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1—रामी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—भंवरी पत्नि मथरालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—प्यारा पिता मेघा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—भंवरलाल पिता भारू कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर
- 6—सरपंच ग्राम पंचायत बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -
2. हरिश चन्द्र टेलर -

अधिवक्ता वादी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 01.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम धूलखेड़ा के साबिक कृषि आराजियात में साबिक खाता संख्या 139 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है जिस पर वादी अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि साबिक नक्शे में तरमीम नहीं होकर साबिक नक्शे के मूल नम्बर 740 ही तरमीम था इसी मूल नम्बर 740 में ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की साबिक आराजी संख्या 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी जो भी साबिक नक्शे में तरमीम नहीं थी। वादी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि मौके पर उत्तरी दिशा में रास्ते से लगती हुई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दक्षिण दिशा में स्थित थी तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 व संवत् 2044 से 2047 एवं साबिक नक्शे की प्रति वादपत्र के साथ पेश है। कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा गांव की आबादी भूमि व रास्ते के पास स्थित होने से वादी ने अपनी उक्त आराजी के 8 बिस्वा पर मकान व बाड़ा का निर्माण कर उस पर निवास करने लग गया जिससे वादी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि में से 8 बिस्वा भूमि पर मकान व बाड़ा होने से वादी द्वारा तहसीलदार रायपुर के यहां 8 बिस्वा भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग उपभोग होने से उसका नियमन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार



(Handwritten signature)

रायपुर द्वारा पत्रावली कायम की जाकर एसडीओ साहब गंगपुर के यहां पेश की जिस पर दिनांक 13.06.1989 को नियमन आदेश जारी किया गया था उस आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 440 दिनांक 04.05.1990 निर्णित किया जाकर जमाबंदी में अमल दरामद कर दिया गया। प्रमाण में नियमन आदेश, नामान्तरण की नकल वादपत्र के साथ पेश है। वादी की साबिक आ.सं. 740/1 रकबा 10 बिस्वा मे से 8 बिस्वा भूमी आबादी में नियमन होने के बाद वादी अपनी आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा उस पर अपना मकान व बाड़ा बना हुआ है। राजस्व कर्मचारियों को रोटेशन में जमाबंदी तैयारी के समय वादी की 740/1 रकबा 10 बिस्वा को जमाबंदी में वादी के नाम ही दर्ज रखनी थी तथा उसकी 8 बिस्वा की किस्म गे.मु. आबादी व 2 बिस्वा की किस्म भूरे.गो. रखनी थी परंतु राजस्व कर्मचारियों ने अगली रोटेशन की जमाबंदी में बिना किसी विधिक आदेश एवं अपनी मर्जी से वादी की 740/1 रकबा 10 बिस्वा का रकबा कम करते हुए 8 बिस्वा भूमि को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया तथा 2 बिस्वा भूमी वादी के खाते में रखी जो गलत होकर अवैध है। वादी अपनी आ.स. 740/1 पर मौके पर रास्ते से लगती हुई भूमी पर काबिज है परंतु साबिक नक्शे में आ.स. 740/1 व 740/2 की कोई तरमीम नहीं थी वादी साबिक नक्शे में दर्ज मूल नम्बर 740 के उत्तरी दिशा में काबिज है तथा मौके पर मकान व बाड़ा बना हुआ है। प्रतिवादी संख्या 5 को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमी को बिलानाम खाते में दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था जबकि वादी मौके पर पूरी 10 बिस्वा भूमी पर काबिज है जिससे वादी की पुरानी आ.स. 740/1 रकबा 8 बिस्वा भूमी किस्म गे.मु. आबादी को पुनः वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड एवं साबिक नक्शे में मौका की स्थिति के अनुसार दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रमाण में साबिक जमाबंदी सम्बत 2048 से 2051 की पेश की। ग्राम धूलखेड़ा में भु प्रबन्ध होने से वादी की आ.नं. 740/1 रकबा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 1342 रकबा 0.02 हैक्ट तथा वादी की कब्जेशुदा आबादी भूमी संख्या 740/1 रकबा 8 बिस्वा (जिसे सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया) के एवं ग्राम धूलखेड़ा की आबादी भूमी आ.स. 736 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा को मिलाते हुए नवीन आराजी 1335 रकबा 2.41 हैक्ट. को बिलानाम खाते में दर्ज कर दिया तथा वादी की कब्जे शुदा आराजी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या एक से तीन की साबिक आ.स. 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के नवीन नम्बर 1343 रकबा 0.15 हैक्ट व आ.सं. 1353 रकबा 0.14 हैक्ट. को नवीन नक्शे में तरमीम कर दिया तथा वादी की आ.स. 740/1 रकबा 8 बिस्वा का रकबा व नम्बर नवीन नक्शे व जमाबंदी से गायब कर दिया तथा वादी की आ.सं. 1342 का रकबा नवीन नक्शे में 0.02 हैक्ट के बजाय ज्यादा दर्ज कर दिया जो अवैध होकर गलत है। वादी द्वारा अपनी आराजी संख्या 1342 रकबा 0.02 है0 को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा होकर उसका मकान बना हुआ है। वादी की खातेदारी कृषि आराजियात रकबा 0.09 है0 भूमि जिस पर वादी के मकान व बाड़ा बना हुआ है जिसे नियमन करने के बाद अवैध रूप से सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया तथा भूप्रबन्ध के बाद वादी की भूमि का खसरा नम्बर व रकबा गांव की आबादी भूमि में मिला देने तथा वादी के कब्जेशुदा भूमि रकबा 0.09 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की भूमि आराजी संख्या 1343 को दर्ज कर देने से प्रतिवादीगण आये दिन वादी को उसके मकान व बाड़े से जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे है तथा अन्य को रहन, बय, बक्षीस करने पर आभादा है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये रथाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। अतः श्रीमान से



सादर प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे कि ग्राम धूलखेड़ा में स्थित आराजी संख्या 1335 रकबा 2.41 है० में से रकबा 0.09 है० कम किया जाकर उसके नवीन नम्बर 1335/1 रकबा 0.09 है० कायम करते हुए उक्त नम्बर को नवीन नक्शे में आ.स. 1343 में उत्तरी तरफ मौके पर बने हुए मकान बाड़ा के स्थान पर तरमीम करते हुए राजस्व जमाबन्दी में वादी के नाम दर्ज करने तथा आ.स. 1342 रकबा 0.02 है० का रकबा नवीन नक्शे में 0.02 है० करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 व 1353 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है० को नवीन नक्शे में वादी की आराजी संख्या 1335/1 रकबा 0.09 है० के दक्षिण में मौके की स्थिति अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को प्रदान फरमाया जावे एवं साथ ही वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा कि डिक्री जारी फरमाई जाए कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि जिस पर वादी का मकान व बाड़ा बना हुआ जो आराजी संख्या 1343 में उत्तरी दिशा में मौके स्थित है वादी के उक्त हिस्से के उपयोग उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे व वादग्रस्त भूमि को रहन बय बक्षीस व किसी भी तरह से अंतरित नही करे, प्रतिवादी संख्या 5 राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 5 के यहां उक्त भूमि के अंतरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 05.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। समन की पालना मे प्रतिवादी संख्या 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि वादपत्र के पैरा 1 में वर्णित कुलिया तथ्य अंकित किये जो जवाबदाता प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। सही तथ्य इस प्रकार है कि वादी के साबिक आराजी संख्या 740/1 एवं प्रतिवादीगण के साबिक आराजी संख्या 740/2 का मूल रकबा 740 हैं, जो रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा ही है। जिसमें से वादी ने 08 बिस्वा को आबादी में रूपान्तरण करवा लिया एवं शेष रकबा 740/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा शेष रहा है जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है एवं साबिक नक्शे में भी तरमीम है। वादी का साबिक आराजी संख्या 740/1 रास्ते के पास उत्तरी दिशा में न तो रास्ते की आराजी अंकित की है, न रास्ते का रकबा बताया गया है। राजस्व रिकार्ड में भी रास्ता अंकित नहीं है। वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य मौके पर रास्ता कायम कर रखा है जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 व सम्वत् 2044 से 2047 का रिकार्ड वादी ने पेश किया है। जबकि मूल आराजी संख्या 740 का पूरा रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वादपत्र में अंकित नहीं किया गया है। मूल आराजी संख्या 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2030 में अंकित है, जो जवाब के साथ पेश है। वादपत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कुलिया तथ्य जवाबदाता प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। वादी ने आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा गलत अंकित किया है जब मूल साबिक आराजी को स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी ने जानबुझकर मूल आराजी संख्या 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा का उल्लेख वादपत्र में नहीं कर न्यायालय को गुमराह कर तथ्य छिपाये गये हैं। जबकि वादी ने केवल साबिक आराजी संख्या 740/1 का बढ-चढकर उल्लेख किया है। आराजी संख्या 740/1 एवं आराजी संख्या 740/2 मूल रकबा 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा से कायम किये गये।



(Handwritten signature)

वादी के नाम आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हुआ है। जबकि आराजी संख्या 740/1 का रकबा मात्र 08 बिस्वा ही राजस्व रिकार्ड में अंकन होना चाहिए था। आराजी संख्या 740/1 रकबा 08 बिस्वा को ही वादी ने आबादी में दर्ज करा लिया तो वादी साबिक नक्शे में तरमीम कैसे करा सकता हैं। वादी का वादपत्र भी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं रहा है आबादी भूमि के विवाद का निस्तारण मात्र सिविल न्यायालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस कारण वादी की आराजी वर्तमान में आबादी भूमि है। वादी अनुतोष हेतु सिविल उपचार ही मात्र करने का अधिकारी है। अतः वादी के वादपत्र को आदेश 07 नियम 11 (3) जा०दी० के तहत खारीज किया जायें। वादी की आराजी संख्या 740/1 के नवीन आराजी संख्या 1342 रकबा 0.02 हैक्टर भी गलत कायम हुए हैं। उक्त आराजी पर रास्ता है एवं वादी के पास मात्र आराजी संख्या 740/1 रकबा 08 बिस्वा ही थी, लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा 10 बिस्वा गलत दर्ज रिकार्ड थी मूल आराजी संख्या 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा ही थी जिसमें वादी से वादी के नाम 740/1 रकबा 08 बिस्वा ही दर्ज होनी चाहिए थी जबकि आराजी संख्या 740/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा जो कुल 740 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा ही मिलान से बैठती थी जहां तक आराजी संख्या 740/1 एवं आराजी संख्या 740/2 के नवीन आराजी संख्या 1342, 1335 एवं 1343 कायम हुये हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को 02 बिस्वा का बिकाव करना वादपत्र में अंकित किया है जो गलत है। वादी के पास विक्रय हेतु 02 बिस्वा भूमि शेष ही नहीं थी। वादी ने 08 बिस्वा में से 02 बिस्वा ही प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय की है। वादग्रस्त आराजी में वादी का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है व आराजी को कृषि से अकृषि का रूपान्तरण भी सन् 1990 में किया जा चुका है, तो वादी अब 20 वर्षों बाद नक्शा तरमीम कराने एवं घोषणा का वादपत्र पेश करने का वादी को कानूनी रूप से अधिकारी नहीं रहा है। वादी अब स्टेज पर घोषणा एवं नक्शा तरमीम का वादपत्र पेश करने का अधिकारी नहीं रही। वादी का वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है। वादी के पास आज की तारीख में कृषि भूमि शेष बची ही नहीं है बल्कि नवीन आराजी आबादी भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज हो चुकी है, जिसका नामान्तरण पंचायत के नाम खोल दिया गया है। वादी को सर्वप्रथम आबादी भूमि जो ग्राम पंचायत के नाम हो चुकी है, के नामान्तरण की अपील पेश करना चाहिए एवं ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए ग्राम पंचायत भी उक्त वादपत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। राजस्व न्यायालय किसी भी प्रकार से घोषणा की डिकी वर्तमान वादपत्र में जारी नहीं कर सकता है। राजस्व न्यायालय कृषि भूमि के वादपत्रों की ही सुनवाई कर सकता है आबादी भूमि के विवाद हेतु सिविल वाद ही उपचार है। वादी का वादपत्र भी आबादी भूमि बाबत है अतः वादी का वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है। वादी के खातेदारी अधिकारों की कोई कृषि भूमि वर्तमान में शेष नहीं बची है सरकारी खाते में भी अवैध तौर दर्ज नहीं की गई थी। बल्कि वादी ने अपना सम्पूर्ण रकबा आराजी संख्या 740/1 को कृषि से अकृषि में सन् 1990 में ही करा कर आबादी में दर्ज करा कर मकान व बाड़ा बनाया गया, प्रतिवादीगण ने कोई धमकी वादी को नहीं दी, न बेदखल करने का प्रयास किया गया, बल्कि वादी ने जानबुझकर विवाद पैदा करने के लिए यह वादपत्र पेश किया है। वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विशेष कथन के रूप में अंकन किया कि साबिक आराजी संख्या 740 मूल रकबा होकर 01 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है। तत्पश्चात् उक्त मूल साबिक आराजी संख्या 740 के दो रकबे कायम किये गये क्रमशः



740/1 व 740/2 कायम किये गये जिसमें आराजी संख्या 740/1 वादी के हिस्से में रकबा 08 बिस्वा जिसे वादी ने 1990 में आबादी भूमि में से संपरिवर्तन करा कर नामान्तरण करवा लिया एवं इसी आराजी में से 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय कर दी अब वादी के खाते में आज की तारीख में कोई भूमि अवशेष नहीं रही है। वादी न तो खातेदार है और न ही वर्तमान जमाबन्दी में राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज है। लेकिन प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी संख्या 740/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं दोनों रकबों को आपस में जोड़ा जाये तो 01 बीघा 15 बिस्वा जमीन बनती है। इस कारण से वादी के हिस्से में 10 बिस्वा जमीन का अंकन राजस्व रेकार्ड में गलत था। जबकि जवाबदाता प्रतिवादीगण के खाते में 01 बीघा 7 बिस्वा सही तौर पर अंकित है जो जवाबदाता प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदारी में दर्ज रेकार्ड दर्ज है। खातेदार के विरुद्ध वादी को किसी प्रकार का वाद राजस्व न्यायालय के मार्फत कोई वाद लाने का अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया जिसका आदेश अलग से लिखाया गया जो पत्रावली में संलग्न है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि वादी की साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि को गलत तरमीम करते हुए 8 बिस्वा भूमि को बिलानाम करते हुए मौके पर वादी के कब्जेशुदा भूमि के नम्बर गायब कर वादी की भूमि के रकबे को ग्राम पंचायत की भूमि के रकबे में मिला दिया गया जिसकी इन्द्राज दुरस्ती का पेश किया गया। वादी द्वारा वाद पेश करते समय सहवन से ग्राम पंचायत बागोलिया को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया परन्तु ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है जिससे ग्राम पंचायत को उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाना न्यायोचित है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत बागोलिया को पक्षकार संयोजित किया जाकर नोटिस जारी किया गया नोटिस की पालना में ग्राम पंचायत बागोलिया द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अंकन किया कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की कृषि आराजियात की नवीन राजस्व रेकार्ड में गलत तरमीम हो जाने का है, जिसमें पंचायत का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। यदि साबिक रेकार्ड के अनुसार नवीन रेकार्ड में इन्द्राज दूरस्ती की डिक्री जारी की जाती है तो इसमें ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

वादपत्र व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी भूमि थी जिससे 8 बिस्वा भूमि वादी द्वारा आबादी रूपान्तरित करवाई गई जो गलत रूप से बिलानाम दर्ज कर दी गई ? जिम्मे वादी
2. आया वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि को आबादी परिवर्तित कराने के बाद आराजी संख्या 740/1 रकबा 2 बिस्वा व 740/1 रकबा 8 बिस्वा आबादी भूमि को भू प्रबन्ध के दौरान मौके पर कब्जे एवं साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करते हुए वादी की आबादी भूमि के नम्बर व रकबा को नवीन नक्शे व जमाबन्दी से हटा दिए गये जिसे वादी इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा के जस्टिस दुरस्त कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी



3. आया वादी की आबादी भूमि पर वादी के मकान व बाड़ा तथा प्रतिवादी संख्या 4 के मकान बने हुए है जहां नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की भूमि का रकबा बढ़ा देने से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्की जारी फरमाया जाना न्यायोचित है। जिम्मे वादी
4. आया वादी की साबिक आराजी संख्या 740/1 का रकबा 10 बिस्वा भूमि का नहीं होकर 8 बिस्वा ही है। वादी से 8 बिस्वा भूमि पर मकान बना लिया है वादी की कोई जमीन प्रतिवादीगण के कब्जे में नहीं होने से वादी का वाद खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी
5. आया वादी की भूमि आबादी भूमि है जिससे उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से वाद खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी
6. आया प्रकरण में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है जिससे वादी का वाद खारीज योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी
7. आया वादी का वाद मियाद बाहर होकर होने से खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी
8. अनुतोष ?

वादी की ओर अपनी साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी भैरूलाल, पीडब्ल्यू 2 लुदलाल कुमावत के बयान कराये गये। वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से लगाकर प्रदर्श 16 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी साक्ष्य में गवाह डीडब्ल्यू 1 रामी, डीडब्ल्यू 2 भवरी, डीडब्ल्यू 3 जगदीश के बयान कराये गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराये गये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 व धारा 151 जाब्ता दिवानी का पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर बहस सुनी गई पत्रावली पर ही निर्णय कर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मूल साबिक आ.स. 740 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा नहीं होकर 1 बीघा 17 बिस्वा था जिसका विभाजन होने पर आ.स. 740 के 2 नम्बर आ.स. 740/1 रकबा 10 बिस्वा व आ.स 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कायम किए गए। आ.सं. 740/1 रकबा 10 बिस्वा वादी के हिस्से में आई जिसमें से 8 बिस्वा भूमि पर वादी का मकान व बाड़ा बना हुआ था जिसे नियमन किया जाकर आबादी में किया है तथा दो बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की गई जिस पर भी मकान बने हुए हैं। सेटलमेन्ट के दौरान भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत तरीके से राजस्व रेकॉर्ड से वादी की आराजी के नवीन नम्बर व रकबा को मूल स्थान पर दर्ज करने के बजाय गायब कर अन्य आराजी में मिला दिया तथा वादी का नाम हटा दिया था वादी की कब्जेशुदा आबादी भूमि के स्थान पर प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 1343 का रकबा बढ़ा दिया गया है। साबिक आ.स. 740/2 व 740/1 के रकबो को जोड़ने पर 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि नहीं होकर 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि बनती है। प्रतिवादी संख्या एक से तीन का रकबा जमाबन्दी में 1 बीघा 7 बिस्वा ही है। परन्तु नवीन नक्शे में उनका रकबा वादी की भूमि तक दर्ज कर बढ़ा दिया जो गलत होकर अवैध है वादी को प्रतिवादी संख्या एक से तीन की खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि से कोई लेना देना नहीं है बल्कि राजस्व रेकॉर्ड में वादी की भूमि को मौके की स्थिति एवं साबिक जमाबन्दी एवं नक्शे अनुसार नवीन नक्शे एवं जमाबन्दी में दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्की खातेदार के विरुद्ध जारी कराने का अधिकार है तथा उक्त वाद माननीय राजस्व



(Handwritten signature)

न्यायालय के ही श्रवणाधिकार का है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में घोषणा के वाद के लिए कोई मियाद प्रावधित नहीं है जिससे वादी का वाद मियाद बाहर नहीं है। वादी का बाद राजस्व रेकॉर्ड में भूप्रबंध अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के नाम दर्ज आ.स. 740/1 रकबा 10 बिस्वा मे से 8 बिस्वा आबादी कराने के बाद गलत तरीके से बिलानाम आबादी दर्ज कर उसके बाद वादी की कब्जेशुदा आराजी के रकबे व नम्बर को साबिक रेकॉर्ड एवं कब्जे के विपरीत गांव की अन्य नम्बर में मिला देने तथा वादी के कब्जेशुदा भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक से तीन की आराजी का रकबा बढ़ा देने से उक्त वाद राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा का है साथ ही वादी के संपरिवर्तित भूमि को अवैध और बिना किसी विधिक आदेश के ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के नम्बर में मिला दिया जो गलत होकर अवैध व शुन्य है जिससे ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि पुराने राजस्व रेकार्ड अनुसार दुरुस्ती की जावे तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि पर स्वामित्व के लिये वाद पेश नहीं किया है केवल राजस्व रेकार्ड में त्रुटी को सही करने का वाद है। वादी का आबादी भूमि व कृषि भूमि का कोई विवाद नहीं होकर राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज करने का विवाद है जिसकी जानकारी होते ही वादी द्वारा वाद पेश किया गया है उक्त विवाद की श्रवणाधिकारिता माननीय न्यायालय को ही प्राप्त किसी और न्यायालय को नहीं। वादी ने अपनी साक्ष्य में उनके जिम्मे तनकी को पुरी तरह साबित किया है। अतः वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि ग्राम धूलखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 740 का मूल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ही था जिसमे विपक्षी के नाम 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज है और शेष 8 बिस्वा भूमि वादी के द्वारा आबादी में संपरिवर्तन कराने से भूमि बिलानाम आबादी में दर्ज हो गई वादी का कोई रकबा शेष नहीं है साथ ही राजस्व रेकार्ड मे भूमि वर्तमान में आबादी के रूप में दर्ज रेकार्ड है। भूमि आबादी के रूप में दर्ज होने इस न्यायालय को इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। जमीन वादी द्वारा कब बेची अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत का रकबा कम होगा। अतः मूल वाद खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में वादपत्र, जवाबदावा एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस के अनुसार तनकीवार निर्णय इस प्रकार है -

1. आया वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी भूमि थी जिससे 8 बिस्वा भूमि वादी द्वारा आबादी रूपान्तरित करवाई गई जो गलत रूप से बिलानाम दर्ज कर दी गई ? जिम्मे वादी

इस तनकी को साबिक करने का भार वादी पर था। इस तनकी के समर्थन में वादी द्वारा रेकार्ड प्रदर्श करवाया गया। वादी द्वारा प्रदर्श 1 जो जमाबन्दी संवत 2044 से 2048 पेश की गई। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत 2048 से 2051 प्रस्तुत की गई। प्रदर्श 3 जो जमाबन्दी संवत 2035 से 2039 तक प्रस्तुत की गई जिसमें भूमि वादी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 4 जो जमाबन्दी संवत 2048 से 2052 प्रस्तुत की गई जिसमें भूमि वादी के बजाय ग्राम पंचायत के नाम दर्ज का अंकन है। प्रदर्श 5 पेश किया जो नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत वागोलिया की प्रमाणित प्रति है जिसमें भैरा पिता गोकल कुमावत के नाम आबादी दर्ज करने का अंकन किया गया है। प्रदर्श 6 जो तहसीलदार रायपुर को आराजी संख्या 740/1 को



नियमन करने का आदेश दिया गया जिसकी प्रति साथ संलग्न है। प्रदर्श 7 पेश किया जो मिलान क्षेत्रफल है। प्रदर्श 8 पेश किया जो साबिक नक्शा ट्रेस है। प्रदर्श 9 प्रस्तुत किया जो जमाबन्दी की नकल संवत 2073 से 2076 है। प्रदर्श 10 जो नक्शा ट्रेस है। प्रदर्श 11 जो जमाबन्दी की नकल संवत 2073 से 2076 है जो प्रतिवादी संख्या 4 भंवरलाल पिता भारू कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 12 जो जमाबन्दी की नकल संवत 2073 से 2076 गै.मु. आबादी ग्राम पंचायत के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 13 जो जमाबन्दी की नकल संवत 2008 से 2012 है। प्रदर्श 14 जो जमाबन्दी की नकल संवत 2031 से 2035 है। मौका रिपोर्ट पेश की गई जो प्रदर्श 15 व 16 है। इस प्रकार वादी द्वारा समस्त रेकार्ड को प्रदर्श करवाया गया जिसमें उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। वादी द्वारा 8 बिस्वा आबादी में दर्ज करवाने का रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण दस्तावेजात एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह पुरी तरह साबित है कि वादी भैरूलाल के नाम दर्ज आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि मे से 8 बिस्वा भूमि नियमन होने के बाद अवैध तरीके से बिना किसी आदेश के बिलानाम दर्ज कर दी गई वादी ने इस तनकी को अपने पक्ष में पुरी तरह साबित कराया। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया वादग्रस्त साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि को आबादी परिवर्तित कराने के बाद आराजी संख्या 740/1मी रकबा 2 बिस्वा व 740/1 रकबा 8 बिस्वा आबादी भूमि को भू प्रबन्ध के दौरान मौके पर कब्जे एवं साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम करते हुए वाद की आबादी भूमि के नम्बर व रकबा को नवीन नक्शे व जमाबन्दी से हटा दिए गये जिसे वादी इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा के जरिए दुरस्त कराने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी के समर्थन में साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं प्रदर्श 5 पेश किया जो नामान्तरण रजिस्टर ग्राम पंचायत बागोलिया की प्रमाणित प्रति है जिसमें भैरा पिता गोकल कुमावत के नाम आबादी दर्ज करने का अंकन किया गया है। प्रदर्श 6 तहसीलदार रायपुर को आराजी संख्या 740/1 को नियमन करने का आदेश दिया गया जिसकी प्रति साथ संलग्न है। वादी की आराजी संख्या 740/1 रकबा 8 बिस्वा को भू प्रबन्ध के दौरान ग्राम पंचायत की आराजी संख्या 1335 में मिला दिया गया जो बिना किसी विधिक आदेश है जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 अपनी भूमि पर काबिज है व उनके मकान व बाड़े बने हुए है भू प्रबन्ध के दौरान नवीन नक्शा व जमाबन्दी में वादी की कब्जेशुदा भूमि के नया नम्बर व रकबा कायम नहीं किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 4 की आराजी संख्या 1342 को भी नक्शा में 0.02 है0 से ज्यादा बढ़ा दिया व मौके के विपरीत दर्ज कर दिया गया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 की कब्जेशुदा भूमि की जगह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 का रकबा बढ़ाते हुए दर्ज कर दी गई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि के मध्य थोहर की बाड़ व पत्थर की दीवार बनी हुई होना जाहिर आया है। वादी की ओर मौका रिपोर्ट प्रदर्श 14 व 15 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 अपनी भूमि पर काबिज है व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हमे हमारी भूमि ही चाहिए वादी की भूमि वादी के नाम कर दी जावे व हमारी भूमि हमारे नाम कर दी जावे-हमारे 1 बीघा 7 बिस्वा कब्जेशुदा भूमि पर हमारा कब्जा है हम काश्त कर रहे है।



प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे की कलम संख्या 6 में भी यह स्वीकार किया है कि वादी का मकान व बाड़ा बना हुआ है तथा अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के मकान व बाड़ा की भूमि रास्ते से लगती हुई है व उसके पिछे हमारा कब्जा है। हमे हमारे नाम पर दर्ज भूमि है वो ही चाहिए वादी व हमारे मध्य 40-45 साल पहले से विभाजन होकर अलग अलग काबिज है। वादी के हिस्से में 10 बिस्वा भूमि आयी है व हमारे हिस्से में 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि आयी है। उक्त साक्ष्य व दस्तावेज से यह पुरी तरह साबिक है कि वादी के नाम 10 बिस्वा भूमि थी व प्रतिवादीगण के नाम 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी। वादी द्वारा 8 बिस्वा भूमि पर मकान व बाड़ा बनाने के बाद 8 बिस्वा भूमि को नियमन किया जाकर आबादी में दर्ज किया गया तथा रोटेशन की जमाबन्दी में उक्त 8 बिस्वा भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया गया व भू प्रबन्ध के बाद अवैध तरीके से वादी की भूमि के नम्बर व रकबा जहां वादी काबिज है वहां दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 6 की आराजी संख्या 1335 में मिला दिया गया व वादी की कब्जेशुदा भूमि की जगह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 का रकबा नवीन नक्शे में 0.15 है० के बजाय 0.26 है० कर दिया गया जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट से भी होती है तथा प्रतिवादी संख्या 4 की आराजी संख्या 1342 को भी माके के विपरीत तरमीम कर दिया गया। मौका रिपोर्ट प्रदर्श 15 व 16 जो राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार मंगवाई गई थी उसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा आराजी संख्या 1343 व 1342 में रास्ते से लगता हुआ हैं तथा इसके पिछे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 ,1353 पर कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है० पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इस तनकी वादी साक्ष्य व दस्तावेज से पूरी तरह अपने पक्ष में प्रमाणित करवाया है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

3. आया वादी की आबादी भूमि पर वादी के मकान व बाड़ा प्रतिवादी संख्या 4 के मकान बने हुए है जहां नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की भूमि का रकबा बढ़ा देने से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना न्यायोचित है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। इस तनकी के समर्थन में वादी ने साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर मकान व बाड़ा बना हुआ है तथा प्रदर्श 15 व 16 में भी स्पष्ट रूप से रास्ते से लगती हुई भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के मकान व बाड़ा बने हुए है इसके अलावा प्रतिवादीगण ने भी अपनी जिरह में प्रतिवादी संख्या 4 का मकान 10 साल पहले बने हुए व वादी का मकान व बाड़ा 1990 से पहले बने हुए होना स्वीकार किया है। वादी ने साक्ष्य में यह भी पुरी तरह साबित करवाया है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जेशुदा मकान व बाड़े में जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी की भूमि का रकबा प्रतिवादीगण के हिस्से में मिला देने से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को भी वादी ने अपने पक्ष में साबित कराया है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

4. आया वादी की साबिक आराजी संख्या 740/1 का रकबा 10 बिस्वा भूमि का नहीं होकर 8 बिस्वा ही है। वादी से 8 बिस्वा भूमि पर मकान बना लिया है वादी की कोई जमीन प्रतिवादीगण के कब्जे में नहीं होने से वादी का वाद खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी



इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह साबित करता हो कि उक्त विवादित भूमि वादी के नाम केवल 8 बिस्वा भूमि ही दर्ज हो। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड सम्बन्धी समस्त रेकार्ड प्रदर्श कराया गया जिसमें प्रतिवादीगण का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में है। वादी ने अपनी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2009 से 2012 की पेश की जो प्रदर्श 13 है जिसमें आराजी संख्या 740 का कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है जिसके पश्चात् जमाबन्दी संवत 2032 से 2033 व 2039 से 2042 पेश की जो प्रदर्श 14 व प्रदर्श 3 है जिसमें वादी के नाम 10 बिस्वा भूमि दर्ज होने व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज होने का अंकन है जिसके पश्चात् वादी ने अपनी 10 बिस्वा भूमि में से 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की गई जिसमें उसका मकान बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर की रिपोर्ट अनुसार वादी के कब्जे में 8 बिस्वा भूमि व प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जे में 2 बिस्वा भूमि है। मौका पर्चा बनाया गया जिसमें प्रतिवादीगण भी उपस्थित थे का अंकन किया गया है तथा ग्राम वासियान के हस्ताक्षर है जिसमें बताया गया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे जिससे इस तनकी का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

5. आया वादी की भूमि आबादी भूमि है जिससे उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से वाद खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने बताया गया कि वादी की भूमि आबादी भूमि है तथा वादी के कब्जेशुदा भूमि को ग्राम पंचायत की भूमि में मिला दिया गया है जिससे आबादी भूमि के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं जिसके विपरीत वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी ने मालिकाना हक के लिए वाद पेश नहीं किया है वादी अपनी भूमि पर काबिज होकर उसके मकान व बाड़ा बने हुए है। वादी द्वारा अपनी भूमि को किसी को रहन, बय, बक्षीस नहीं किया गया है वादी अपनी भूमि का स्वयं मालिक है परन्तु रोटेशन की जमाबन्दी में वादी की खातेदारी भूमि को अवैध तरीके से बिलानाम खाते में दर्ज कर देने भू प्रबन्ध के बाद वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के नवीन नम्बर व रकबा को जमाबन्दी व नक्शा से गायब कर ग्राम पंचायत की आराजी के नम्बर में मिला दिया गया व वादी की कब्जेशुदा भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 रकबा 0.15 है० की भूमि का रकबा बढ़ाते हुए दर्ज कर दिया गया जबकि मौके पर वादी अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण अपनी आराजी संख्या 1343 व 1353 कुल किता 2 कुल किता 0.29 है० जो कृषि भूमि है उस पर काबिज है। उक्त मामला रेवेन्यु रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा का है जिसे दुरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्व रेकार्ड में त्रुटी को सही करने का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। प्रतिवादीगण की भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि आराजियात का रकबा वादी की कब्जेशुदा भूमि में बढ़ा दिया गया है व वादी के आराजी के नम्बर को गायब करते हुए ग्राम पंचायत की आबादी भूमि आराजी संख्या 1335 में मिला दिया गया जबकि उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत व प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है। उक्त त्रुटी रोटेशन की जमाबन्दी के दौरान व भू प्रबन्ध के दौरान हुई है जिससे उक्त त्रुटी को सही



करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। इस तनकी को साबित कराने में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 असफल रहने के कारण इस तनकी का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

6. आया प्रकरण में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार है जिससे वादी का वाद खारीज योग्य है।
जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है वादी ने ग्राम पंचायत को पूर्व में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे वादी का वाद खारीज होने योग्य है। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई व ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि साबिक रेकार्ड अनुसार नवीन राजस्व रेकार्ड में सुधार कर दिया जावे तो ग्राम पंचायत का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। वादी द्वारा ग्राम पंचायत को पक्षकार बना दिया गया व ग्राम पंचायत द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया जिससे उक्त तनकी का निर्णय भी विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी किया जाता है।

7. आया वादी का वाद मियाद बाहर होकर होने से खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने बताया कि भू प्रबन्ध व रोटेशन की जमाबन्दी में त्रुटी काफी वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादी द्वारा काफी वर्षों बाद दावा पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। वादी ने अपनी बहस में बताया कि धारा 88 के तहत इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा का वाद पेश करने के लिए कोई समय सीमा निहित नहीं है। जैसे ही वादी की जानकारी में आया कि भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व रेकार्ड में उक्त त्रुटी हुई है जानकारी होते ही वादी ने बिना किसी विलम्ब वाद पेश कर दिया गया जो मियाद बाहर नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी किया जाता है।

8. अनुतोष ?

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से मनन किया गया तथा तनकीवार निर्णय से पाया कि वादी ने अपने जिम्मे की तनकी संख्या 1, 2, 3 को अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज से पूरी तरह प्रमाणित करवाया है, व प्रतिवादी के जिम्मे की तनकी संख्या 4, 5, 6, 7 को प्रमाणित कराने में असफल रहे हैं जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलखेड़ा में स्थित प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज आराजी संख्या 1335 रकबा 2.41 है० मे से 0.09 है० भूमि कम की जाकर उसके नवीन नम्बर 1335/1 रकबा 0.09 है० कायम करते हुए वादी के नाम दर्ज करने एवं उक्त नम्बर को नवीन नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 में उत्तरी तरफ मौके पर बने हुए



मकान व बाड़े के स्थान पर रास्ते से लगती हुई भूमि पर तरमीम की जावे तथा आराजी संख्या 1561/1342, 1560/1342 कुल किता 2 कुल रकबा 0.02 है0 का रकबा नवीन नक्शे 0.02 है0 कायम करते हुए मौके पर प्रतिवादी संख्या 4 के बने हुए मकान के स्थान पर तरमीम करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 का रकबा नवीन नक्शे में 0.15 है0 तरमीम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 व 1353 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 को नवीन नक्शे में वादी की आराजी संख्या 1335/1 व प्रतिवादी संख्या 4 की आराजी संख्या 1561/1342, 1560/1342 के दक्षिण में मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है। साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि वादी के मकान व बाड़े की कब्जेशुदा भूमि जो रास्ते के लगती हुई है में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे व न किसी अन्य से करावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को प्रदान किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



नेहा छीपा
 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 - रायपुर जिला भीलवाड़ा कांटे
 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
 रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—69/2020 (2020/00221) वाद पत्र

अनवान

1—भैरु पिता गोकल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1—रामी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—भंवरी पत्नि मथरालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—प्यारा पिता मेघा कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—भंवरलाल पिता भारू कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर
- 6—सरपंच ग्राम पंचायत बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलखेड़ा में स्थित प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज आराजी संख्या 1335 रकबा 2.41 है० मे से 0.09 है० भूमि कम की जाकर उसके नवीन नम्बर 1335/1 रकबा 0.09 है० कायम करते हुए वादी के नाम दर्ज करने एवं उक्त नम्बर को नवीन नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 में उत्तरी तरफ मौके पर बने हुए मकान व बाड़े के स्थान पर रास्ते से लगती हुई भूमि पर तरमीम की जावे तथा आराजी संख्या 1561/1342, 1560/1342 कुल किता 2 कुल रकबा 0.02 है० का रकबा नवीन नक्शे 0.02 है० करते हुए मौके पर प्रतिवादी संख्या 4 के बने हुए मकान के स्थान पर तरमीम करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 का रकबा नवीन नक्शे में 0.15 है० तरमीम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की आराजी संख्या 1343 व 1353 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है० को नवीन नक्शे में वादी की आराजी संख्या 1335/1 व प्रतिवादी संख्या 4 की आराजी संख्या 1561/1342, 1560/1342 के दक्षिण में मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है। साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि वादी के मकान व बाड़े की कब्जेशुदा भूमि जो रास्ते के लगती हुई है में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे व न किसी अन्य से करावे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को प्रदान किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।



(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा